

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 1 | विभाग | उद्यान विभाग |
| 2 | योजना का नाम | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (30 नॉन एन0एच0एम0) |
| 3 | योजना की संक्षिप्त टिप्पणी | यह योजना मेरठ मण्डल के तीन जनपदों(हापुड, गौतमबुद्धनगर तथा बागपत) में संचालित है। इस योजना के मुख्य कार्यक्रमों में चयनित फल उद्यानों यथा आम, अमरुद तथा टिशूकल्चर केला के क्षेत्र विस्तार एवं अनुवर्ती वर्षों में उनका रखरखाव, मसाले, पुष्प की खेती को प्रोत्साहन, पुराने बागों को जीर्णोद्धार, सरक्षित खेती के माध्यम से पालीहाउस एवं शेडनेट हाउस में आफ-सीजन पुष्प एवं शाकभाजी उत्पादन, कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण का विकास आदि कार्यक्रम समावेशित है। इस कार्यक्रमों को अपनाने हेतु कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष विभिन्न निवेशों पर 25 से 50 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है। |
| 4 | पात्रता की अर्हता | 1.डी0बी0टी0 अन्तर्गत संचालित योजना 2.स्वयं की भूमि हो। 3.सिंचाई का साधन हो। 4.अनुदान के अतिरिक्त व्यय करने में सक्षम हो। 5.पहले आओ पहले पाओ। |
| 5. | आवेदन की प्रक्रिया | समस्त अभिलेखानुसार डी0बी0टी0 के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन द्वारा |
| 6. | लिंक वेबसाईट | http://upagriculture.com/Default.aspx |
| 7. | सम्पर्क सूत्र | अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी अथवा उप निदेशक, उद्यान, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है । |